वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नियम

1. बी०एड० दो वर्षीय व एम०एड० का पाठ्यक्रम एक वर्षीय, एम०ए०, एम०एससी, एम०कॉम०, एलएल०एम० का दो वर्षीय तथा शेष पाठ्यक्रम तीनवर्षीय होगा।
2. जब तक कोई विद्यार्थी प्रथम खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक वह द्वितीय खण्ड में प्रवेश नहीं पा सकेगा और इसी प्रकार जब तक कोई विद्यार्थी द्वितीय खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक वह तृतीय खण्ड में प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार विद्यार्थी को तीनवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तृतीय खण्ड की परीक्षा पृथक रूप से उत्तीर्ण करनी होगी।
3. कोई भी विद्यार्थी तब तक उपाधि प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा जब तक वह उपाधि के लिए नीचे दिये गये क्रमांक 5 के अनुसार निर्धारित सभी विषयों एवं पाठ्यक्रमों की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।
4. उपाधि के लिए सभी विषयों की परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणियाँ निम्न प्रकार दी जायेंगी-

टिप्पणी : बी०एड० में सिद्धान्त पक्ष (थ्योरी) एवं क्रियात्मक पक्ष (प्रेक्टिकल) में श्रेणी अलग-अलग दी जायेगी।

उपाधि का नाम	प्रतिशत		
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम	60	48	36
बी०एड०, एम०एड०, एलएल०बी०	60	48	–
एलएल०एम०	60	50	–

5. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्ड की परीक्षाओं में किसी को तब तक उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा जब तक वह अंकों का निम्नानुसार प्रतिशत प्राप्त न कर ले।
   (अ) बी०ए०, बी०एससी० तथा बी०कॉम० : NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित क्रेडिट प्रणाली के आधार पर।
   (आ) एलएल०बी० : प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 36 प्रतिशत किन्तु सभी पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों का योग 48 प्रतिशत।
   (इ) एलएल०एम० : प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत परन्तु सभी पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों का योग 50 प्रतिशत।
   (ई) जिन विषयों में प्रयोगात्मक (प्रेक्टिकल) परीक्षा भी होती है, उनमें विद्यार्थी को लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   (उ) सामान्य विषयों तथा अर्हकारी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए 50 में से 17 अंक पाना अनिवार्य होगा।
6. यदि परीक्षार्थी विषयों के सभी खण्डों को उत्तीर्ण कर लेता है और वह एक प्रतिशत अथवा उससे कम अंकों की कमी के कारण प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी नहीं प्राप्त कर पाता तो उसे पूर्व छात्र के रूप में अगली परीक्षा में किसी भी एक पाठ्यक्रम की परीक्षा में केवल एक बार बैठने की अनुमति दी जायेगी। ऐसा करने से यदि उसकी श्रेणी में सुधार होता है तो सुधरी हुई श्रेणी उसे मिल जायेगी, अन्यथा उसे पहली वाली श्रेणी में उत्तीर्ण माना जायेगा। जिस वर्ष में परीक्षार्थी द्वारा श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा दी जायेगी, उसी वर्ष उसे दूसरी समकक्ष परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट–स्नातक में प्रवेशित विद्यार्थियों के परीक्षा प्रणाली/उपाधि संबंधित नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार लागू होंगे। (देखें पृष्ठ सं० 27 से पृष्ठ सं० 29 तक)

सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नियम

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। इसके संदर्भ में सभी नियम पृष्ठ संख्या 27 से पृष्ठ संख्या 29 तक पढ़ें।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है, जिसमें निम्न आधार पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा–

1. परीक्षार्थी को 50 (20+20+10) अंकों की आंतरिक एवं 50 अंकों की बाह्य परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
2. आन्तरिक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी बाह्य परीक्षा देने के लिए अर्ह होगा।
3. परीक्षार्थी को आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

उपस्थिति

(अ) कोई भी विद्यार्थी उस समय तक किसी भी विषय की विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा जब तक कि उस विषय की सैद्धान्तिक (Theory) तथा प्रयोगात्मक (Practical) कक्षाओं में उसकी अलग-अलग उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत नहीं होती।

(ब) उपस्थिति में 5 प्रतिशत तक की छूट संस्था के प्राचार्य महोदय तथा विशेष परिस्थिति में 10 प्रतिशत की छूट कुलपति महोदय दे सकते हैं।

(स) उपस्थिति की गणना कॉलेज में शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से होगी चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को लिया गया हो।

(द) विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति अपने प्राध्यापक से प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विषय में उसकी उपस्थिति कम तो नहीं है। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रह जाती है और परीक्षा में कम उपस्थिति के कारण बैठने की स्वीकृति नहीं मिलती तो वह विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

प्रवेश के नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्राजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच-पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई०डब्ल्यू०एस० के लिए लागू होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ) (I) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है। इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में माँगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑन लाईन सबमिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं० पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियाँ प्रकाशित की जायेंगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/ संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात् महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेंगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भाँति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त प्रपन्नों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(ङ) विषय संयोजन आबंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आबंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की

अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोट–यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो।) यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2021-22 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्था में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी०पी०टी०, डिप्लोमा इन आर०डी०आई०टी०, 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी०पी०टी० व बी०आर०डी०आई०टी० में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे–सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे–सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ०प्र० बोर्ड के सम्बंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(झ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(ञ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम०ए० की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम०ए० में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम०ए० प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम०ए० करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ठ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोट–मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन०आई०ओ०एस० व ए०आई०यू० पर उपलब्ध)/(यू०जी०सी० व ए०आई०यू० की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

3. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएँगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. "शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–1870/सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।"

5. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसने वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को बी०ए० में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी०ए० की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note–In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi, the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आँकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे–

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों को अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्नातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/ डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा-

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात जी०ओ० न० एफ०.14-3/85 (सी०पी०), दिनांक 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। 4 प्रतिशत अधिभार ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट-(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)।

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल०बी० के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 11 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

11. एम०एससी०, एम०ए० भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे-

(i) महाविद्यालय/संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम०एससी० और एम०ए० में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी०एससी०/बी०ए० में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस०सी०/एस०टी० के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम०ए० के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं है एवं एम०एससी० (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iv) एम०एससी० और एम०ए० (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम०एससी० सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना

अनिवार्य है, परन्तु एम०ए० प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम०एससी० बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलॉजी ग्रुप/बायोटैक्नोलोजी/कम्प्यूटरसाइंस/गणित/सांख्यिकी/माइक्रोबाइलोजी/बी०एम०एल०टी०/बी०एससी० (कृषि) में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

(v) एम०एससी० (गणित) में प्रवेश हेतु बी०सी०ए०, बी०टैक० (मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी०एससी० (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एम०ए० के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम०ए० (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०/बी०सी०ए०/बी०ए० (गणित)/बी०एससी० (गणित)/बी०कॉम० अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी०ए० (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम०ए० गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

12. (i) एलएल०बी० प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एलएल०बी० (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक/ परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर, जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात् स्नातक से की जायेगी, तथापि भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4, दिनांक 07.08.2014 के अनुसार एलएल0बी0 (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा स्नातक अथवा उच्चतर कक्षा (स्नातकोत्तर) में 45 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करे हों, तो वह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय से एलएल०बी० उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (सामान्य वर्ग हेतु) तथा 48 प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु) से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एलएल०एम०) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।

(iii) एक अभ्यर्थी, जिसने एलएल०बी० का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जोकि इस विश्वविद्यालय में मान्य है, उत्तीर्ण किया है, एलएल०बी० के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

(iv) कोई भी महाविद्यालय/संस्थान एलएल०बी० प्रथम वर्ष में B.C.I. द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा।

13. (i) बी०कॉम० प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी०कॉम० में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा।

(ii) बी०ए० में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०कॉम०, बी०ए० अथवा बी०एससी० में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो-तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक-तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।

14. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों

के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी–

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी, जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी०एड०, बी०पी०एड०, एम०एड०, एम०पी०एड०, एलएल०एम० व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

15. (i) बी०एड०/बी०पी०एड० और एम०एड०/एम०पी०एड० की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी०एड०, एम०एड० के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०ए० (गृह विज्ञान)/बी०एससी० (गृह विज्ञान) तथा बी०एससी० (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(iii) केवल ऐसे अभ्यर्थी एम०एससी० (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे, जिन्होंने बी०एससी० (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम०एससी० (कृषि) में प्रवेश योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

17. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

18. (i) एम०कॉम० के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०कॉम० परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी०कॉम० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(ii) बी०सी०ए०/बी०टैक० (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा बी०एससी० (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम०एससी० (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी०एससी० (गणित) को दी जायेगी।

(iii) बी०पी०ई०एस० (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/बी०एससी० (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

(iv) एम०पी०ई०एस० (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगा।

(v) एलएल०बी० (3 वर्षीय) एवं एलएल०बी० (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (बी०सी०आई०) द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।

(vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

19. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

20. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

21. (i) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी०ए० प्रथम/एम०ए० प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी०एड०/बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

22. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

24. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू०पी० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

25. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

26. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

27. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

28. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

29. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

30. बी०एससी० (फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।

31. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी०लिब० आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

32. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थिनियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

33. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एकसाथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

34. BJMC, BBA, BFA, B.El.Ed. में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस०सी०/एस०टी० अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।

35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

36. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।

37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

40. M.Sc. (Home Science) की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता B.Sc. (Home Science) 50 प्रतिशत अंकों के साथ रहेगी। Foods & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।

41. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

42. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

43. **छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यदि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।**

44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू०जी०सी०/आई०जी०एन०ओ०यू० तथा एन०आई०ओ०एस० की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में दिशा-निर्देश

National Education Policy 2020: Guidelines

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये गए थे। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

(क) पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणीः

1. यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०कॉम० पर सत्र 2021-22 से लागू है। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर लागू होगी।

(ख) प्रवेश की व्यवस्थाः

1. विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आबंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
2. पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है,• जिसका आबंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।

   (• नोट-मेरठ कॉलिज में उपलब्ध संसाधनों के आलोक में वर्तमान सत्र में विद्यार्थी को तीनों मुख्य विषयों का चुनाव अपने ही संकाय से करना होगा सिवाय गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं भूगोल के।)

3. विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।*
4. छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।*

   (नोट-मेरठ कॉलिज में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में नियम संख्या 3 एवं 4 वर्तमान सत्र में लागू नहीं होंगे।)*

5. तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय✪ से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलेक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।

   (✪ नोट-विद्यार्थी को गौण चयनित (माइनर इलैक्टिव) पेपर का चुनाव महाविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूची में से ही करना होगा।)

6. बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
7. तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।+

   (+ नोट-जिन विद्यार्थियों ने NCC कोर्स का चयन किया है, उन्हें कोई अन्य माइनर इलैक्टिव पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है।)

8. कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

9. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।

10. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा। (3 × 4 = 12 क्रेडिट के कुल चार विभिन्न पाठ्यक्रम)✪

*(✪ **नोट**–विद्यार्थी को रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम का चुनाव महाविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूची में से ही करना होगा।)*

11. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा। सहगामी पाठ्यक्रमों का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा–

- **प्रथम**– खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता
- **द्वितीय**– प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- **तृतीय**– मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
- **चतुर्थ**– शारीरिक शिक्षा एवं योग
- **पंचम**– विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
- **षष्ठ**– संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

12. इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० (C.G.P.A.) की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

(ग) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रियाः

1. विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
2. विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
3. विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निधारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

(घ) क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारणः

1. सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
2. प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26-30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
3. विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सटिफिकेटः न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।
4. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएँगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
5. यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएँगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7. तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

8. यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएँगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

9. यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

(ङ) उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारणः

1. क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
2. परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) परीक्षा व्यवस्थाः

1. सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
2. सभी विषयों (रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम को छोड़कर) की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
3. 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
4. असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
5. सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

(छ) उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित हैः

1. स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
2. द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
3. तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
4. प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
5. स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जाएँगे।

Revised Eligibility Criteria

M.A. Programme: Bachelor's Degree (with the concerned subject as one of the main subjects for Home Science, Geography, Music and Drawing & Painting) 45% marks in the aggregate and 50% marks in the Subject at Graduation are mandatory. For SC/ST Candidates, relaxation up to 33% marks in aggregate and in the concerned subject.

(a) For admission to M.A. (Economics), candidates having B.A./B.Sc. Degree with mathematics as one of the main subjects or at 10+2 level or those with B.B.A./B.Com./B.C.A. Degree are also eligible.

(b) Political Science, History, Defence Studies, Philosophy, Sociology & Education candidates with B.A. in other subjects or from other 3 year bachelor's degree can also apply with 5% deduction in marks.

(c) For admission to M.A. in Psychology of campus (CBCS) or colleges, candidates from all steams can apply with 45% marks in aggregate. However preference will be given to B.A. (Psychology) or Psychology with Honors (2% weightage). Remaining candidates will be considered with 5% deduction in marks.

प्रवेश– योग्यता के आधार

क्रमांक	कक्षा	प्रवेश-योग्यता के आधार
1.	(क) बी०एससी० (प्रथम वर्ष) बी०ए० (प्रथम वर्ष) बी०कॉम० (प्रथम वर्ष)	1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
	(ख) एम०एससी० (प्रथम वर्ष)	विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
	(ग) एम०कॉम० (प्रथम वर्ष)	विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
	(घ) एम०ए० (प्रथम वर्ष, सभी विषय)	विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
2.	सभी कक्षाएँ (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	2. मेरठ कॉलेज, मेरठ से प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले समस्त प्रवेशार्थी निर्धारित तिथियों मे प्रवेश पा सकेंगे।
3.	एलएल०बी० (प्रथम वर्ष)	3. विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
4.	एलएल०एम० (प्रथम वर्ष)	4. विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर
5.	बी०एड०	5. शासन द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर
6.	एम०एड०	6. विश्वविद्यालय पंजीकरण व महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश नियमों के आधार पर

विशेष : 1. प्रवेश के लिए पंजीकृत प्रवेशार्थी को अपने पास पंजीकृत-प्रपत्र की पावती (रसीद) रखना आवश्यक है।

2. निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न रहने पर प्रवेशार्थी अपना प्रवेश का अधिकार खो देगा तथा उसके स्थान पर योग्य प्रवेशार्थी का प्रवेश कर दिया जायेगा।

3. प्रवेश केवल स्थान रहने तक ही दिये जायेंगे। प्रवेश के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश करने के लिए कॉलेज बाध्य नहीं होगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रवेश के लिए इच्छुक सभी प्रवेशार्थी मेरठ कॉलिज की वैबसाइट www.meerutcollege.edu.in पर जाकर online admission पर क्लिक करें। आपको एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। उसकी समस्त प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें।
2. आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से भरकर अपना फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र upload करें।
3. ये सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण होने के बाद प्रवेश शुल्क जमा करने का विकल्प खुल जाएगा। अपने द्वारा चुने गए कोर्स के अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान करें। संबंधित बैंक में भुगतान प्राप्ति के पश्चात् आपको एक ई-रसीद प्राप्त होगी।
4. अब आपको अपने आवेदन पत्र, upload किए गए प्रमाण-पत्रों एवं ई-रसीद के प्रिंट निकालकर उन्हें मेरठ कॉलिज में संबंधित प्रवेश समिति के पास जमा कराने होंगे।

   महत्त्वपूर्ण–
   - प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों को यह सभी पत्रजात् विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबंधित वरीयता सूची के प्रवेशों की अंतिम तिथि से पूर्व निर्धारित समय तक जमा कराने हैं।
   - अन्य वर्षों के प्रवेशार्थियों को यह सभी पत्रजात् महाविद्यालय द्वारा नियत प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व निर्धारित समय तक जमा कराने हैं।

   इन पत्रजातों को निर्धारित समय तक जमा न कराने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
5. आवेदन पत्र की प्रति के साथ प्रवेशार्थियों को upload किए गए अपने सभी प्रमाण-पत्रों को संबंधित प्रवेशाधिकारी के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कराने होंगे। सत्यापन के उपरांत ही प्रवेशार्थी का प्रवेश निश्चित होगा।
6. प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरांत उसकी सूचना प्रवेशार्थी को ई-मेल/एस०एम०एस० के द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी। सूचना में उक्त प्रवेशार्थी को आवंटित उसकी विशिष्ट कॉलिज आई०डी० भी होगी।
7. कॉलिज आई०डी० प्राप्त करने के दस दिनों के उपरांत विद्यार्थी जमा किए गए शुल्क की ई-रसीद दिखाकर अपना परिचय-पत्र एवं विवरणिका की मुद्रित कॉपी प्रॉक्टर कार्यालय से प्राप्त करें। आपका परिचय-पत्र कॉलेज के विद्यार्थी होने का प्रमाण है। इसे सदैव अपने साथ रखें।
8. प्रवेश के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी०सी०) तथा पूर्व संस्था का आचरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। इसके न होने पर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अंक-पत्र की मूल प्रति भी प्रवेशाधिकारी को दिखानी अति आवश्यक है।
9. यदि प्रवेशार्थी द्वारा लगाए गए प्रमाणपत्र व फोटो जाली साबित होते हैं तो न केवल उस विद्यार्थी का प्रवेश बिना किसी कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा वरन् उसके विरुद्ध धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) भी दर्ज करा दी जाएगी।
10. सभी प्रवेश अस्थाई हैं। प्राचार्य का यह अधिकार सर्वदा सुरक्षित है कि कभी भी किसी का भी प्रवेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकते हैं।

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2017 एवं आदेश दिनांक 11.02.2009 के आलोक में शासनादेश संख्या—746/70–1–2009 लखनऊ दिनांक 26.03.2009 का पालन किया जाना अनिवार्य है।

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा एवं उसके अभिभावकों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि यदि छात्र/छात्रा संस्था के परिसर में या बाहर रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
2. किसी भी छात्र/छात्रा को रैगिंग से संबंधित कोई शिकायत/सुझाव हो तो वह चीफ प्रॉक्टर कार्यालय एवं छात्र कल्याण परिषद् कार्यालय पर रखी शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत बिना किसी पहचान के लिखित रूप में डाल दें जिसकी जाँच कर उसका निराकरण किया जाएगा।
3. महाविद्यालय में किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ (मद्यपान आदि) के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई छात्र/छात्रा धूम्रपान या मद्यपान आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दण्डित किया जाएगा।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा परिसर के अंदर लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा।
5. रैगिंग की घटनाओं में लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्राओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही गुण/दोष के आधार पर की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निष्कासन, महाविद्यालय से निलंबन, जी०डी० मार्क में कटौती, मैस से निलंबन तथा छात्रवृत्ति बंद किए जाने आदि की कार्यवाही भी सम्मिलित होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र/छात्रा का ही होगा।

सामान्य सूचनाएँ

1. प्रवेशार्थियों को मेरठ कॉलेज की वैबसाइट www.meerutcollege.edu.in पर दिए गए online admission पर क्लिक कर आवेदन पत्र भरना होगा, साथ ही प्रवेश शुल्क का भुगतान कर ई-रसीद प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात् इन सबके प्रिंट लेकर प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा।
2. प्रवेश समिति के मुख्य संयोजक अपने कक्ष में मिलेंगे। प्रवेश सम्बन्धी पूछताछ के लिए प्रवेश समिति तथा सम्बन्धित संयोजक से उनके निर्धारित कक्ष में मिलें।
3. प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी को स्वयं अपने प्राप्तांकों एवं प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतिलिपियाँ सत्यापन के लिए दिखानी होंगी तथा स्वयं उपस्थित होकर उन सभी प्रतिलिपियों पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।
4. यदि आप कॉलेज से अपना कोई फॉर्म अग्रसारित कराना चाहते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी/सहायक को अपना परिचय-पत्र पिछले प्राप्तांक, डिग्री आदि की मूल प्रतियाँ अवश्य दिखायें। ऐसा न करने पर आपका फॉर्म अग्रसारित नहीं किया जायेगा। चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भी ऐसा ही करें।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी प्रवेश फार्म अधिष्ठाता, छात्र कल्याण परिषद् के माध्यम से अग्रसरित होने चाहियें।
6. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रवेश-पत्र के साथ ही अपने वाहन (साईकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि) का पंजीकरण कराना तथा वाहन को कॉलेज के वाहन-स्थल पर रखना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज प्रांगण में किसी भी प्रकार का वाहन चलाना एवं उसको खड़ा करना तथा **कॉलेज परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है।**
7. कॉलेज में जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश स्वीकृत होगा उन्हें प्रवेशाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित परिचय-पत्र चीफ़ प्रॉक्टर कार्यालय से प्राप्त करना होगा। प्रवेश सुनिश्चित होने के दस दिनों के उपरांत परिचय-पत्र निर्गत किए जाएँगे। इनको प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको दण्डित किया जा सकता है। **विद्यार्थी को परिचय-पत्र सदैव अपने साथ लाना अनिवार्य होगा और माँगे जाने पर दिखाना होगा।**

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करें-

1. संकाय कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु० 3/- मात्र देकर फार्म प्राप्त करें।
2. लेखा विभाग, पुस्तकालय और सम्बन्धित प्रयोगशाला से अदेय प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षरित करायें।
3. उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित फार्म के साथ गत परीक्षा की अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न करें।
4. संकाय कार्यालय में अपना परिचय-पत्र दिखाकर संबंधित संकाय लिपिक के पास निर्धारित फार्म जमा करें।

चरित्र प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करें।

1. संकाय कार्यालय से रु० 3/- मात्र जमा कर फार्म प्राप्त करें।
2. निर्धारित फार्म को अपनी अंकतालिका के साथ संकाय कार्यालय में जमा करें।

प्रवेश के लिए आवश्यक प्रपत्र

1. महाविद्यालय वैब साईट से डाउनलोड किया गया पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र तथा शुल्क की ई-रसीद।
2. विश्वविद्यालय वैब साईट से डाउनलोड किया गया पंजीकरण फार्म व अन्य आवश्यक प्रपत्र।
3. विश्वविद्यालय वैबसाईट पर रजिस्ट्रेशन कराते समय अधिभार प्राप्त करने हेतु दी गयी सूचना के प्रमाण-पत्र।
4. पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक की मूल प्रति तथा प्रमाणित छायाप्रति।
5. पूर्व संस्था के चरित्र प्रमाण-पत्र (C.C.) की मूल प्रति।
6. पूर्व संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) की मूल प्रति।
7. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ी जाति से सम्बद्ध है अथवा दिव्यांग है तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा प्रमाणित छायाप्रति।
8. प्रवेशार्थी का नाम उसकी अंक-तालिका, आवेदन-पत्र, आधार कार्ड तथा जाति प्रमाण-पत्र पर एक समान अंकित होना चाहिए। ऐसा न होने की दशा में आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं दिया जायेगा।

विशेष सूचना

1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किसी प्रवेशार्थी का नाम यदि योग्यता/वरीयता/प्रतीक्षा सूची में आ जाता है और वह निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसे महाविद्यालय स्तर पर किसी भी दशा में पुनः प्रवेश का अवसर नहीं दिया जायेगा व इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का ही होगा।
2. मैरिट लिस्ट तथा प्रतीक्षा सूची में रखे गये विद्यार्थियों को निर्धारित दिनांक व समय पर नियत स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनका प्रवेश अधिकार समाप्त समझा जायेगा।
3. जाँच होने तक सभी प्रवेश अस्थाई होते हैं। प्राचार्य कोई कारण दिये बिना किसी के भी प्रवेश को किसी भी समय निरस्त कर सकते हैं।
4. सभी प्रवेशार्थियों को चाहिए कि प्रवेश स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निधार्रित शुल्क की ई-रसीद दिखाकर अपना परिचय-पत्र चीफ प्रॉक्टर कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. प्रवेश लेते समय पाठ्य-विषयों का चयन भली-भाँति सोच-विचार कर करें। विषय, सेक्शन तथा संकाय परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण भी अनुमन्य नहीं है।
6. प्रवेश लेने के पश्चात् यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज छोड़ता है तो कॉलेज कार्यालय को इसकी लिखित सूचना तुरन्त देना आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय-पत्र चीफ-प्रॉक्टर को लौटाना भी अनिवार्य है।
7. किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षाओं में नियमानुसार कम से कम 75% उपस्थिति अर्जित करना अनिवार्य होगा।

WWW.meerutcollege.org
Email : principal_mcm1892@ymail.com
Contact : 0121-2664303 Fax : 0121-4009149

₹ 100.00